प्रार्थीगण के पिता रामलाल कुल्मी द्वारा खरीद की गई आराजी का अमल अधिकार अभिलेख यानि राजस्व रेकार्ड उनके नाम पर नहीं होने से यह आराजी पूर्ववत अन्य खसरा नम्बरान के साथ रोड़िया पुत्र भंवरलाल भी के नाम पर खातेदारी में दर्ज रही जबकि उसके विवादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 333 हाल खसरा नम्बर 477 से दिनांक 22.11. 1957 को ही उसके सभी तरह के सम्बन्ध समाप्त हो गये एवं खरीददार रामलाल कुल्मी को खातेदार अधिकार प्राप्त हो गया है। तथा रोड़या के समस्त अधिकारी विलोपित हो गये है। उनका नाम सम्बन्धित रिकोर्ड से हटाये जाने योग्य है।

प्रश्नगत आराजी को दिनांक 22.11.1957 बतौर खातेदार टिनेन्ट प्रार्थीगण के पिता काश्त करते रहे है। अप्रार्थीगण 2 व 3 खातेदार मृतक रोड़िया के पुत्र है उनको यह अच्छी तरह मालूम है विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता को दिनांक 22.11.1957 को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। लेकिन अप्रार्थीगण ने 2 व 3 ने उनके पिता की मृत्यु होने पर गुपचुप तरीके से पटवारी हल्का से मिलकर फौती इन्तकाल नं0 259 दिनांक 25.08.1998 को बगैर किसी तरह की जांच एवं तहकीकात कराये नायब तहसीलदार झालरापाटन से तस्दीक करवा लिया इसलिए प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर निष्प्रभावी है इस सीमा तक उनके नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीगण को बेचाननामें के आधार दुरस्ती एवं अंकन करवाने का अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थीगण 2 व 3 ने विगत 10 वर्षो के दरमियान प्रश्नगत आराजी की कीमतों में भारी वृद्धि होने के कारण प्रार्थीगण के पिता रामलाल बयनामें के आधार पर क्रय की गई जमीन दिनांक 14.05.2010 को अप्रार्थी क्रमांक 1 को क्रेता बताते हुये दूषित प्रक्रिया के द्वारा बगैर किसी अधिकार के उपपंजीयक झालावाड़ से दस्तावेज सं0 1212 के रूप में पंजीबद्ध करवा दिया। यह दूसरा दस्तावेज बयनामा पहले बयनामा आराजी दिनांक 22.11.1957 की रोशनी में प्रार्थीगण के पिता रामलाल कुल्मी को विवादग्रस्त आराजी हाल खसरा नं0 477 में प्राप्त खातेदारी अधिकारों पर बेअसर है। दूसरा बयनामा 14.05.2010 से उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी सं0 1 को किसी प्रकार के हकूब अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा निष्पादित दूसरा बयनामा दिनांक 14.05. 2010 पूरी तरह शून्य एवं निष्प्रभावी है। दूसरे बयनामें के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 ने रात्रि चौपाल कैम्प समराई में पटवारी हल्का से मिलकर नामान्तरकरण सं0 573 ग्राम मोतीपुरा बतौर किसी जांच व तहकीकात करवाये दिनांक 04.06.2010 को तस्दीक करवा लिया जो प्रार्थीगण के पिता रामलाल कुल्मी को प्राप्त खातेदारी अधिकारों पर निष्प्रभावी होने से निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थीगण के पिता ने नामान्तरकरण सं0 259 दिनांक 25.08.1998 एवं नामान्तरकरण सं0 573 दिनांक 04.06.2010 को अवैद्य व शून्य करायी जाने की अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़ कर रखी है। प्रार्थीगण की मृत्यु के बाद हम प्रार्थीगण उक्त अपील में कायम मुकामान है। जिसमें माननीय जिला कलक्टर झालावाड़ के न्यायालय से अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश हो रहा है। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत आराजी की जो प्रार्थीगण के पिता रामलाल ने क्रय की थी उसपर फसल की सुरक्षा हेतु फेन्सिग कर रखी है। प्रार्थीगण ने प्रश्नगत आराजी को पूरी तरह अपने कब्जे काश्त में रखा है। अप्रार्थीगणों को किसी भी तरह से प्रार्थीगण की स्वीकृति व सहमति के बगैर प्रश्नगत आराजी में किसी भी भाग पर प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग है तथा विवादग्रस्त आराजी का कब्जा छीनना चाहते है। अगर अप्रार्थीगण उनके मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगणों को अनवाश्यक रूप से मुकदमे बाजी एवं आर्थिक तंगी बढेगी इसलिए अप्रार्थीगण 1 लगयात 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की तरफ से विद्वान अभिभाषक श्री विजय जैन ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी गई तथा पत्रावली बहस में रखी गई। बहस उभय पक्षकारान 19.12.2017 को सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन (राज०)